(ङ) विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में इन कार्यक्रमों के सफल कार्यान्वयन हेतु इन कार्यक्रमों की आवधिक रिपोर्टों/विवरणियों, क्षेत्र अधिकारियों द्वारा फील्ड दौरों और केन्द्र/राज्य स्तर पर कार्यशालाओं/सेमिनारों की मार्फत प्रभावशाली निगरानी की जाती है।

कुल्लू के जिलाधीश को धनराश का आबंटन

6009. **श्री महेश्वर सिंह**: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत सरकार के निर्णयानुसार वर्ष 1993-94 के दौरान संसद सदस्यों की सिफारिश पर स्थानीय क्षेत्र के विकास के लिए 5 लाख रुपये की धनराशि सभी जिलाधीशों को दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या हिमाचल में कुल्लू के जिलाधीश को संबद्ध संसद सदस्य की सिफारिश पर उक्त धनराशि दी गई थी; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): (क) से (ग) जैसा कि वर्ष 1993-94 संसद सदस्यों ने सिफारिश की है, इस मंत्रालय ने कलेक्टरों द्वारा योजना शुरू करने के लिये राज्य सरकारों को 5.00 लाख रुपये प्रति निर्वाचन क्षेत्र के हिसाब से जारी किये हैं। राज्य सरकार इस राशि को क्षेत्र के कलेक्टरों/उपायुक्तों को देगी। यदि सांसद राज्य सभा के हों तो उन्हें राज्य योजना सचिव को सूचित करना होगा कि उन्होंने योजना हेतु अमुक जिला चुना है। राज्य योजना विभाग, जो इस योजना के लिए नोडीय विभाग है, को योजना के बारे में और अधिक सूचना रखनी है।

Exclusion of Registered Societies from MPs local area Development Scheme

6010. SHRI S. S. SURJEWALA: Will the PRIME MINISTER be pleased to refer to answer to Unstarred Question No. 1511 given in the Rajya Sabha on the 3rd March, 1994 and state:

(a) which departments of the State Governments will administering the execution of funds under the MPs local area development scheme; and

(b) whether the rules framed have excluded the registered societies from among the beneficiaries; if so, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT) (SHRI RAMESHWAR THAKUR): (a) The State Planning Departments, who are in overall charge of all the Sectoral Plans and the district plans, will be the nodal departments at the State level for implementation of MPs Local Area Development Scheme.

(b) The scheme is for identifying and recommending development works of small nature based on locally felt needs. The works recommended under this scheme should conform to the general pattern of programmes and projects within the District Plans and the Centrally Sponsored and Central Sector Programmes operating within the district and should be executed following the normal procedures. Works belonging to commercial organisations, trusts, registered societies and private, aided or cooperative institutions should not be allowed. These non-Governmental organisations are governed by their own bye-laws and statutory requirements which are not in conformity with the governmental procedure for implementation of the aforesaid programmes in the scheme.